

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

①

क्रमांक एफ-58/2/2016/19/यो 514/3227 भोपाल दिनांक 24/09/2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- मध्यप्रदेश के सड़क नेटवर्क के उन्नयन हेतु नवीन राज्य राजमार्ग तथा मुख्य जिला मार्ग घोषित करने बाबत।

-0-

राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 06.09.2016 के परिपालन में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09.08.2016 के साथ संलग्न परिशिष्ट-3 में उल्लेखित 24 संरेखणों की कुल लंबाई 3778 कि०मी० को नवीन राज्य राजमार्ग तथा परिशिष्ट-4 में उल्लेखित 127 संरेखणों की कुल लंबाई 4211.36 कि०मी० को नवीन मुख्य जिला मार्ग घोषित किया जाता है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आ०-के० वेद्य) 24/9/16
अपर सचिव

म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 10/9/2016

प० क्रमांक एफ-58/2/2016/19/यो
प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक म०प्र० सड़क विकास निगम भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

सहपत्र:-0

अपर सचिव

म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग

221275

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
"निर्माण भवन", प्लॉट नं.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स, मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 24/9/16

पृ.क्रं.-43/सांख्यिकी/सं./16/3227
प्रतिलिपि:-

समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियंता (एम.डी.आर.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल